Vacancies Registered with Employment Exchanges in Delhi

2565. SHRI JAGIR SINGH DARD: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of vacancies reported by various employers have been long pending with the various Sub-Regional Employment Exchange, i.e. Curzon Road, Darya Ganj and Pusa, New Delhi, functioning under the Directorate of Employment Exchange, NCT of Delhi, which should be disposed of within 15 days according to the laid down policy of DGE&T;

(b) if so, the detailed information of all such vacancies of various employers which are pending for more than15 days with the concerned Sub-Regional Employment Exchanges; and

(c) the action contemplated in the matter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI M. P. VEERENDRA KUMAR): (a) No Sir.

(b) and (c) Do not arise.

कृषि श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाएं

2566. **श्री अजीत जोगी :**

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कृषि श्रमिकों के लिये कार्यान्वित की गई कल्याण योजनाओं का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन योजनाओं से कृषि श्रमिकों को कितना लाभ हुआ है ;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई और कदम उठाने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम0पी0 वीरेन्द्र कुमार): (क)से (घ) कृषि कर्मकारों सहित ग्रामीण कर्मकारों के कल्याण के लिये चलाई जा रही कुछ प्रमुख योजनायें निम्नलिखित हैं:—

(i) **एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई0आर0डी0पी0)**

इस योजना के अन्तर्गत आय बढ़ाने वाली तरिसंपत्तियां अर्जित करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान के साथ छोटे कृषकों, सीमांत कृषको, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण कारीगरों के लिये भिन्न-भिन्न मिश्रित आर्थिक सहायता तथा अलग अलग दरों पर आवधिक ऋण शामिल है ।

(ii) **जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई)**

इस योजना का उद्देश्य अतिरिक्त अर्थ पूर्ण रोजगार का सृजन करना और उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियां का सृजन करना है । इस योजना को देश के उन 120 पिछड़े जिलों में तेज किया गया है जिनमे बेरोजगारी और अल्प-रोजगार का संकेन्द्रण है ।

(iii) **स्व: रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण ट्राइसेस) :**

इस योजना का उद्देश्य स्व रोजगार के लिये ग्रामीण युवाओं के कौशल का विकास करना है ।

(iv) रोजगार आश्वासन योजना (ई ए एस)

2 अक्तूबर, 1993 को पूरे देश के 1752 पिछड़े ब्लाकों में "रोजगार आश्वासन योजना" नामक एक नई योजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य अपर्याप्त कृषि मौसम में 100 दिन का अकुशल शारीरिक कार्य मुहैया करवाना है। इस योजना से मुख्य रूप से कृषि कर्मकार लाभांवित होते हैं। अब इस योजना को 2443 ब्लाकों में लागू कर दिया गया है।

(v) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डी डब्ल्यू सी आर ए)

यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों वाली महिलाओं के कौशलों और अभिरूचि के अनुरूप आय सृजन संबंधी कार्यकलापों को शुरू किये जाने के लिये सामूहिक दृष्टिकोण का उपयोग करके उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिये 1982-83 में चलाई गयी थी। यह योजना स्व रोजगार के लिये ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सहयोग से संचालित की जाती है।

(vi) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना (एन एस ए एस)

हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना नामक एक नई योजना चलाई है। इस योजना के तीनों घटक हैं, अर्थात वृद्धावस्था पेंशन, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के मुख्य उपार्जक की मृत्यु की दशा में उत्तरजीवी लाभ और निर्धन महिलाओं को पहले दो जीवित बच्चों के लिये प्रसूति लाभ, जिससे कृषि कर्मकारों को भी बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा।

2 पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभान्वित किये गये व्यक्तियों और सृजित किये गये रोजगार की दृष्टि से उपर्युक्त योजनाओं का वास्तविक निष्पादन, राज्य वार अनुलग्नक में दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट 181, अनुषंग संख्या 70]।

3. केन्द्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों ने अनेक बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनायें चलाई हैं जैसे जी.जी.नि. की सामाजिक सुरक्षा निधि के अधीन 1987 में भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिये समूह बीमा योजना, जो कि 18-60 वर्ष के आयु वर्ग के सभी भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बीमा परिधि के भीतर लाने के लिये है और 1980 में ए.ग्रा.वि.का. के लाभानुभोगियों के लिये बीमा योजना। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार अलग-अलग अर्हता मानकों और पेंशन दरों वाली वृद्धावस्था पेंशन योजनायें चला रही है। सरकार ने मूलभूत सुविधाओं में सुधार करके, गैर-कृषीय कार्यकलापों का विविधीकरण करके, विभिन्न कौशल सुधार के सतत कार्यों, गरीबी उन्मूलन, विकास और वित्तीय सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक दशाओं में और सुधार करने के लिये एक बहुआयामी कार्यवाई भी शुरू की है।

4. उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त, कृषि कर्मकारों के हितों की रक्षा विभिन्न कानूनों के माध्यम से भी की जाती है। ऐसे कुछ कानून हैं—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976।

Setting up of a Regional Vocational Training Institute at Baroda

2567. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) wether it is a fact that Govt. has given approval for setting up of a Regional Vocational Training Institute at Baroda.

(b) if so, the details of its terms and conditions;